झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
संख्या :-06

तृतीय सत्र
शुक्रवार, दिनांक- 28 अगस्त,2015 ई०।

समय 11.00 बजे पूर्वाह्न से 05.45 बजे अप० तक।

मानवीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें :-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही दिनांक- 27.08.2015 की भाँति माननीय नेता, प्रतिपक्ष सहित झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य एवं अन्य माननीय सदस्य झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा से सीसैट (Civil services aptitude test) व्यवस्था को समाप्त किये जाने की माँग करने लगें,

ii- माले के माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव पारा शिक्षकों की मांगों के निदान की माँग करते हुए सदन की वेल में आने लगे।

iii- झारखण्ड विकास मोर्चा के माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने सिकिदरी हाईडल पावर के अधिकारियों पर अद्यतन कृत कार्रवाई एवं पारा शिक्षकों के सम्बन्ध में उठाये गये सरकारी कदम से सदन को अवगत कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया,

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य सदन की वेल मे आकर धरने पर बैठ गये और नारेबाजी भी करने लगे जिससे भारी शोरगुल होने लगा, किन्ही की बात स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही थी। आसन द्वारा उन्हें बार-बार अपने स्थान पर जाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु वे नहीं माने)

iv- झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो द्वारा "स्थानीय नीति लागू करों" विषयक स्लोगन युक्त अंगवस्त्र धारण किये जाने पर आसन द्वारा नाराजगी जतायी गयी और सदन की गरिमा को बरकरार रखे जाने हेतु उन्हें निदेश दिया गया। वे उक्त वस्त्र को धारण किये रहेंगे अथवा नहीं, उनके विवके पर छोड़ा गया।

2. आसन से सूचना का दिया जाना :-

विपक्ष की ओर से झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिम परीक्षा से सीसैट (Civil Services aptitude test) व्यवस्था को समाप्त किये जाने संबंधी मांग पर सरकार की ओर से आज दिनांक- 28.08.2015 को 03.00 बजे अपराह्न में स्पष्ट किये जाने संबंधी सूचना सदन को दी गयी। इसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने भी किया।

माननीय सदस्य, श्री फुलचन्द मंडल भी स्थानीय नीति पर कुछ बोलने लगे, लेकिन भारी शोरगुल के कारण कुछ स्पष्ट रूप से सुनवाई नहीं दे रहा था अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्या० तक (11.35 बजे पूर्वा० से 12.00 बजे मध्या०) स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय नेता, प्रतिपक्ष सीसैट के मामले पर सदन की समिति बनाये जाने की माँग करने लगे, लेकिन सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर इस विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे जिसपर आसन की सहमति थी। परन्तु, विपक्ष के माननीय सदस्य पुन: सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। पुन: अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 02.00 **(12.10 बजे अप० से 02.00 बजे अप०)** बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो झारखण्ड राज्य में स्थानीय नीति लागू किये जाने की माँग करने लगे। उन्होंने आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए याद दिलाया कि स्थानीय नीति 30 अप्रैल, 2015 तक लागू होनी थी,

ii- माननीय सदस्य, श्री महतो के अंगवस्त्र पर ''स्थानीय नीति लागू करो'' का स्लोगन लिखा हुआ था जिसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अनुचित बताते हुए आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iii- आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में पहले ही नियमन हो चुका है और इसे माननीय सदस्य के विवेक पर ही छोड़ दिया गया है।

(शोरगुल)

3.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- प्रभारी मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा ''झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) नियमावली, 2015'' की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

ii- प्रभारी मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2002 की धारा-14 के अधीन वित्तीय वर्ष-2014-15 अवधि 01.04.2014 से 31.03.2015 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

4.सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

i- पी.एम.जी.एस.वाई. पर बनी विशेष समिति का प्रतिवेदन माननीय संयोजक, श्री अशोक कुमार द्वारा सदन पटल पर रखा गया,

ii- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित नमक घोटाले पर बनी विशेष समिति का प्रतिवेदन माननीय संयोजक, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा सदन पटल पर रखा गया।

5.शून्यकाल:-

आज दिनांक- 28.08.2015 को प्राप्त सभी शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माने जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी।

6.ध्यानाकर्षण सूचना:-

↓ P.T.O.

वक्तव्य के लिए स्वीकृत सभी लम्बित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में सौंपने की घोषणा आसन से की गयी।

7.निवेदन:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के तृतीय सत्र के दौरान स्वीकृत कुल 29 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने की स्वीकृति आसन द्वारा दी गयी।

8.सूचना का दिया जाना:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 194 के तहत जेल अधीक्षक, बिरसा मुण्डा केंद्रीय कारा, राँची से, माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही की औपबंधिक जमानत पर रिहाई होने सम्बन्धी प्राप्त सूचना से आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया।

9.राजकीय संकल्प:-

माननीय मंत्री, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी ने केन्द्र सरकार द्वारा मानव अंगों के प्रत्यारोपण के लिए निर्मित केन्द्रीय अधिनियम, "Transplantation of Human Organs Act,1994" को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में झारखण्ड राज्य में भी इसे अंगीकृत किये जाने के निमित्त प्रस्ताव सभा की सहमति हेतु प्रस्तुत किया जो ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(भारी शोरगुल जारी)

10.विधायी कार्य:-

i- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii- झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री रणधीर कुमार सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(4)

<u>झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015</u> सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii- <u>झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015</u>

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

<u>झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015</u> सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iv- <u>झारखण्ड इण्डस्ट्रीज सुविधा एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस (संशोधन) विधेयक, 2015</u>

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया जिसपर भारी विरोध होने के कारण अंततः सरकार द्वारा वापस किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया गया। आसन द्वारा भारी मन से उक्त विधेयक को इस निदेश के साथ वापस लेने की अनुमति दी गयी कि इसे आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाय।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री जानकी प्रसाद यादव ने आसन से अनुरोध किया कि उनके विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-घरेडीह, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा के रामकिशुन रविदास, राज अस्पताल, राँची में भर्ती थे जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनके परिजनों द्वारा अस्पताल में दो लाख, सत्ताईस हजार रुपये जमा भी किया गया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त नब्बे हजार रुपये की माँग की जा रही है और डेड बॉडी रोककर रख ली गयी है। आसन द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय को निदेश दिया गया कि वे इसका निदान कर एक घण्टे के अन्दर सदन को सूचित करें। माननीय मंत्री द्वारा सद्यः मामले का निष्पादन कर सदन को सूचित किया गया।)

(भारी शोरगुल जारी)

v- <u>झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015</u>

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुआ।

<u>झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015</u> सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

vi- <u>झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015</u>

P.T.O.

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में सदन की भावना को देखते हुए इसे प्रवर समिति में सौंपने की सहमति आसन द्वारा प्रदान की गयी।

11.सीसैट पर चर्चा:-

सीसैट को लेकर गत दिनों से चले आ रहे गतिरोध पर विराम लगाये जाने के निमित्त आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, सर्वश्री शिवशंकर उरांव, कुणाल षडंगी, अनन्त कुमार ओझा एवं श्री जय प्रकाश वर्मा ने अपना-अपना विचार रखा।

(इस अवसर पर समापन भाषण पर्यन्त सदन की सहमति से सभा का समय विस्तारित किया गया।)

माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाये गये बिन्दुओं के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पारा शिक्षकों की समस्याओं के निदान हेतु ली गयी अद्यतन कार्रवाई से सदन को अवगत कराया गया। सिकिदरी हाईडल पावर में हुई अनियमितता के आलोक में इसे सी.बी.आई. को सौंपे जाने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त जैक द्वारा की जा रही शिक्षकों की नियुक्ति की अद्यतन स्थिति, सीसैट पर के सम्बन्ध में गठित त्रि-सदस्यीय समिति तथा स्थानीय नीति इसी वर्ष लागू किये जाने के सम्बन्ध में भी सदन को माननीय मुख्यमंत्री ने अवगत कराया।

(शोरगुल)

12.गैर-सरकारी संकल्प:-

निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी तत्पश्चात् सरकारी उत्तरोपरांत नियमानुसार वापस ली गयी-

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्री मनीष जयसवाल,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,
श्री ईरफान अंसारी,
श्री प्रकाश राम,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री आलमगीर आलम,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री अरुप चटर्जी,
श्री जय प्रकाश वर्मा,
श्री अशोक कुमार,
श्री बादल,
श्री अमित कुमार,
श्री योगेन्द्र प्रसाद,
श्री कुणाल षडंगी,
श्री राधा कृष्ण किशोर,

श्री नागेन्द्र महतो एवं
श्री प्रदीप यादव।

13.आसन से नियमन:-

आसन से निम्न नियमन दिये गये- ''माननीय सदस्यगण सदन में सटीक सूचनायें ही देंगे।''
तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

14.माननीय अध्यक्ष का समापन भाषण:-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मधु-कटु के बीच सत्र समापन के अवसर पर उद्गार व्यक्त किये गये तथा पूरे सत्र में सहयोग के लिए सभी माननीय सदस्यों, पदाधिकारियों/कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, पुलिस-प्रशासन एवं अन्य को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक-28 अगस्त, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
.खण्ड विधान सभा।